प्रेस नोट-थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 28.10.2026

थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा युवती को जहरीला पदार्थ पिलाने एवं धमकी देने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम एवं चिन्हित अपराधियों तथा वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक, थाना पुवायाँ के कुशल नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.10.2026 को वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 630/26 धारा 123/352/351(3) बीएनएस बनाम अनिल कुमार पुत्र रोहनलाल निवासी ग्राम पकड़िया हकीम, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध वादी मुकदमा की पुत्री से बात करने से मना करने पर गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने तथा जहरीला पदार्थ पिला देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 69 बीएनएस की वृद्धि की गई। थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर में विवेचनाकक्ष में मौजूद मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रोहनलाल निवासी ग्राम पकड़िया हकीम, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र 43 वर्ष से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त अनिल ने बताया कि उसके गाँव की रहने वाली युवती के साथ उसका पिछले करीब 03 वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने थे। युवती उससे शादी करने की लगातार जिद कर रही थी, जिस पर वह उससे ही शादी करने की बात कहता था। दिनांक 16.10.2026 को दोनों अकेले में मिले थे। उस दिन युवती ने शादी करने को लेकर उस पर दबाव बनाया, जिस कारण दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इससे गुस्से में आकर उसने युवती के साथ गाली-गलौज की तथा उसे कीटनाशक जहरीला पदार्थ पिला दिया। अभियुक्त से हुई पूछताछ एवं प्रकरण में की गई कार्यवाही के आधार पर अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रोहनलाल निवासी ग्राम पकड़िया हकीम, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र 43 वर्ष को उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 69/123/352/351(3) बीएनएस के संबंध में अवगत कराते हुए समय 11:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

अनिल कुमार पुत्र रोहनलाल निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर उम्र 43 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 630/26 धारा 69/123/352/351(3) बीएनएस थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान का विवरण-

दिनांक 28.10.2026 को समय 11.30 बजे, विवेचना कक्ष थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 पूरनपाल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर